

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु कैम्प रिबिया

क्रमांक : प्र.गा.स./2021/ 198

दिनांक : 23-11-2021

निर्णय:-

प्रार्थी श्री.....निराणाराम.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....शुभाराम.....
ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम.....रिबिया.....पटवार मण्डल.....खण्डवा पट्टा पीथी
तहसील चूरु जिला चूरु की चालू जमाबन्दी सम्वत्.....2071-74.....के खाता संख्या.....232, 233.....में
खातेदार/गैर खातेदार का नाम/जाति.....नारायण.....अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है।
जिसे सही सम्मानजनक रूप से.....निराणाराम.....अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन
पत्र की जांच पटवारी हल्का.....रिबिया.....से करवाने पर पटवारी ने.....नारायण.....के
बजाय.....निराणाराम.....करना उचित बताया। तहसीलदार, चूरु ने भी उक्त खाते में.....नारायण.....
के बजाय.....निराणाराम.....करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम
369 राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम.....रिबिया.....
के खाता संख्या.....232, 233.....में खातेदार/गैर खातेदार का नाम/जाति.....नारायण.....
के स्थान पर सही सम्मानजनक रूप से.....निराणाराम.....दर्ज करने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार,
चूरु तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।



23/11/21
उपखण्ड अधिकारी
चूरु
उपखण्ड अधिकारी,
(Land Record Officer)
चूरु

जमा सं 1314
24-11-21

